न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 03 / 2021 तारीख रजू 05.01.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. ललित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन (विक्रेता) फर्म– लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, शहर, स0मा0, जिला सवाई माधोपुर निवासी मनिहारी मोहल्ला, शहर, सवाईमाधोपुर (राज0)
2. रमेश चन्द गोधा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गोधा (मालिक) फर्म– लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, शहर, स0मा0, जिला सवाई माधोपुर निवासी मनिहारी मोहल्ला, शहर, सवाईमाधोपुर (राज0)

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 31/3/21

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 02.08.2020 को समय लगभग 02.00 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म–लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, शहर सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुॅचा। वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम ललित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन जाति जैन बताया एवं स्वयं को फर्म पर विक्रेता तथा रमेशचन्द गोधा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गोधा को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। ललित कुमार जैन अपनी दुकान पर मावा, दूध, मिठाई आदि खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने विक्रेता से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र / खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं का परिचय पत्र दिखाने को कहा तो विक्रेता ने दुकान का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स क्रमांक 12216038000024 दिनांक 14.05.2020 एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाया जिसके अनुसार दुकान मालिक रमेशचन्द गोधा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गोधा होना पाया गया। फर्म के खाद्यपदार्थ लाइसेन्स व स्वसं के फोटो पहचान पत्र की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु खोया (मावा) लगभग 3 किलो एक स्टील की ट्रे में, रखा हुआ था। स्टील की ट्रे में रखे हुए खोया (मावा) का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता ललित कुमार जैन से स्टील की ट्रे में रखे हुए खोया (मावा) में से शुद्धता की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने दुकान के विक्रय परिसर में एक स्टील की ट्रे में रखे हुए

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:45 IST
Reason: SelfAttested

खोया (मावा) को अच्छी तरह मिक्स कर उसमें से 1 किलो खोया (मावा) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 250/– रूपये अक्षरे दो सौ पचास रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खोया (मावा) को अच्छी तरह से मिक्स कर उसको चार साफ, सूखी व खाली कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में फॉर्मेलीन की 20–20 बूंद डालकर चारो शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बंद किया तथा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–1845** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग–अलग से सील्ड लिफाफे में श्री मोहम्मद असलम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 04.08.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने की दो सील बन्द शीशी (i व ii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 02.08.2020 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1304 दिनांक 31.08.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1056/एक्ट/2020/1135 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु खोया (मावा) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard Food of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया।

अतः प्रकरण में विक्रेता द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard Food) की खाद्य वस्तु खोया (मावा) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु खोया (मावा) का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति से दण्डित किया जावें।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्त द्वारा बहस में तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से **खोया (मावा)** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** (Substandard) प्रकृति का माना गया है। जोकि प्रार्थी द्वारा पूर्ण शुद्धता से निर्मित किया गया किन्तु दूध में फेट की मात्रा कम होने पर सबस्टेण्डर्ड आया है। बहस के अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1056/एक्ट/2020/1135 दिनांक 14.08.2020 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1056/एक्ट/2020/1135 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **खोया (मावा)** सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है जिसको अभियुक्त ने बहस में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु खोया (मावा) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगा0 2 पर **20,000 रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **31.03.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:45 IST
Reason: SelfAttested